उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail**: contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट

लखनऊ- 01.10.2024

उ.प्र. रेरा द्वारा सितंबर माह में अभी तक का सर्वाधिक, 37 नवीन परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया

- 37 नवीन परियोजनाओं में से 27 आवासीय, 07 व्यावसायिक तथा 03 मिश्रित वर्ग की परियोजनाएं है जो विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास विकास परिषद तथा निजी प्रोमोटर की है।
- इनमें से सर्वाधिक 07-07 परियोजनाएं जनपद गाज़ियाबाद और लखनऊ , 06 गौतम बुद्ध नगर, 04 मथुरा, 03-03 झाँसी और प्रयागराज, 02-02 मेरठ और आगरा तथा 01-01 परियोजना बिजनौर, गोरखपुर व मुरादाबाद की है।
- फॉर्म सी जारी करते हुए प्रोमोटर्स को परियोजना का पंजीयन संख्या, उसका विशिष्ट क्यूआर कोड, रेरा वेबसाईट तथा प्रोजेक्ट कलेक्शन एकॉउन्ट का विवरण सभी प्रकार के विज्ञापनों एवं प्रचार-प्रसार सामग्री में प्रमुखता से उल्लेख करने के निर्देश दिए गए।
- प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर्स को फॉर्म सी की ए3 साइज़ की प्रतिलिपि अपने अपने कार्यालय, साइट ऑफिस और निर्माण स्थल पर लगाने के निर्देश भी दिए गए जिससे घर खरीदार और आमजन आसानी से देख सके।

लखनऊ / गौतम बुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा द्वारा सितंबर माह में अभी तक का सर्वाधिक, 37 नवीन परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र/ फॉर्म सी जारी किए गए। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रोमोटर्स द्वारा लगभग 5,93,041 वर्ग मीटर भूमि पर लगभग रुपये 7,198 करोड़ की धनराशि का निवेश के जरिये 11,281 आवासीय तथा व्यावसायिक यूनिट्स का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इनमें से सर्वाधिक 07-07 परियोजनाएं जनपद गाज़ियाबाद और लखनऊ, 06 गौतम बुद्ध नगर, 04 मथुरा, 03-03 झाँसी और प्रयागराज, 02-02 मेरठ और आगरा तथा 01-01 परियोजना बिजनौर, गोरखपुर व मुरादाबाद में स्थित है।

नवीन परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हुए प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार करने में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में निर्देश दिए गए। प्रोमोटर्स को सभी प्रकार के माध्यमों से परियोजना सम्बन्धी विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार (प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, रेडियो, एजेंट, आदि) में परियोजना का पंजीकरण संख्या, उसका विशिष्ट क्यू.आर कोड, रेरा वेबसाईट तथा प्रोजेक्ट कलेक्शन एकॉउन्ट नंबर बड़े एवं पठनीय फॉन्ट साइज़ में प्रमुखता से तथा अनिवार्य रूप से उल्लेखित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रोमोटर्स फॉर्म सी की ए3 साइज़ की प्रतिलिपि अपने अपने कार्यालय, साइट ऑफिस और निर्माण स्थल पर लगाये, अपनी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय से पूरा करें और नियमित रूप से रेरा पोर्टल पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट / क्यू.पी.आर भरें जो सार्वजनिक

अवलोकन हेतु उपलब्ध होता है। अभी तक उ.प्र. रेरा में प्रोमोटर्स द्वारा 3745 से ज्यादा रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण कराया जा चुका है।

उपर्युक्त निर्देशों का उद्देश्य यह है कि भावी घर खरीदार परियोजना सम्बन्धी जानकारियाँ एवं अभिलेख जैसे; भूलेख, स्वीकृत मैप व ले-आउट, फेजेस या टावर्स की सँख्या, प्रति टावर फ्लोर तथा यूनिट्स की संख्या, नॉन टावर एरिया में विकसित की जाने वाली सामान्य एवं विशिष्ट सुविधाएँ, प्रवेश व निकास द्वार, बेसमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम (ई.एस.एस) का प्रकार (सिंगल या मल्टीपोईंट) एवं उसकी लोकेशन, प्रस्तावित पूर्णता तिथि, ओसी/ सीसी की स्थिति, प्रोमोटर का विवरण, निर्माण की स्थिति/ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.आर) तथा परियोजना व प्रोमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की संख्या आदि आसानी से देख सकें और आवश्यकतानुसार इनका सत्यापन भी कर सकें।

रेरा में प्रोमोटर्स को अपनी परियोजनाओं की अनिवार्य रूप से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट- क्यू.पी.आर. भरने की व्यवस्था की गई है। क्यू.पी.आर. भरने से रेरा, घर खरीदने वाले और प्रोजेक्ट के अन्य हितधारकों को प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास की वास्तविक प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस आधार पर ज्ञात हो सकता है कि प्रमोटर ने निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितना निर्माण किया है या प्रमोटर अपने निर्धारित लक्ष्यों से आगे है या पीछे! क्यूपीआर से मिली जानकारी घर खरीदने वालों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

घर खरीदारों की सुविधा एवं इनकी उपलब्धता को और भी आसान बनाने के लिए उ.प्र. रेरा द्वारा प्रोमोटर्स को नवीन परियोजना हेतु जारी किए जाने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/ फॉर्म सी (Form C) में निर्देश उल्लेखित किए जाते है जिसमें परियोजना को जारी विशिष्ट क्यू.आर. कोड, परियोजना के पंजीयन संख्या, प्रोजेक्ट कलेक्शन एकॉउन्ट तथा रेरा पोर्टल के साथ प्रमुखता तथा अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामग्री में उपलब्ध कराना एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की A3 साइज़ की प्रतिलिपि भावी घर खरीदार या जनसामान्य के अवलोकन हेतु अपने कार्यालय, साइट ऑफिस और निर्माण स्थल पर लगाना शामिल है।

भावी घर खरीदार या जनसामान्य परियोजना को जारी क्यू.आर. कोड को अपने मोबाईल फोन से स्कैन कर सकते है और सीधा रेरा पोर्टल पर परियोजना के पेज पर पहुच सकते है जहां प्रोजेक्ट डिटेल्स के पेज से उपर्युक्त विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध होते है। उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के सभी खरीदारों को यूनिट सम्बन्धी सभी प्रकार का भुगतान केवल 'प्रोजेक्ट कलेक्शन एकॉउन्ट' में ही जमा करने की सलाह देता है तथा अनिवार्य रूप से परियोजना के लिए विज्ञापन में या प्रोमोटर द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते का सत्यापन रेरा पोर्टल पर दिए गए 'प्रोजेक्ट कलेक्शन एकॉउन्ट नंबर' के विवरण से करने की सलाह भी देता है।

श्री संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना अतिआवश्यक है। उनके द्वारा सभी 37 परियोजनाओं के प्रोमोटर्स को बधाई दी गई तथा निर्देश भी दिए गए कि वे पारदर्शिता के साथ घर खरीदारों को परियोजना सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराए जिसके लिए फॉर्म सी जारी करते समय महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते है और उल्लेखित भी किए जाते है। इसका दूरगामी लाभ रियल एस्टेट सेक्टर के विनियमन और विकास के रूप में दिखेगा। प्रोमोटर्स केवल तथ्यों और स्वीकृत मानचित्र व ले-आउट के आधार पर ही यूनिट का विक्रय करें, समय से कार्य पूरा करें तथा एग्रीमेंट फॉर सेल की शर्तों से बिना विचलित हुए कब्जा प्रदान करें।